गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

One Stop Centre

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

वन स्टॉप सेंटर

Relevant Provisions in the New Criminal Laws

- Aggrieved women facing any kind of violence due to attempted sexual harassment, sexual assault, domestic violence, trafficking, honour related crimes, acid attacks who have reached out or been referred to the OSC are provided with specialized services.
- Women affected under following Sections of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 can be referred to OSCs for assistance –
- Sections 63 to 70 – Apply to women affected by sexual offences like rape, gang-rape or rape and gang-rape of any minor girl.
- Sections 74 to 79 – Apply to women affected due to use of criminal force and assault with intent to outrage her modesty or with intent to disrobe her or are sexually harassed or subjected to voyeurism or stalking or whose modesty is insulted by uttering any words, making any sound or gesture or by an indecent act.
- Sections 81 to 87 – Are related to marriage offences wherein a man causes cohabitation by deceitfully inducing belief of marriage, or marries again during lifetime of his wife, or marries dishonestly or fraudulently without lawful marriage or entices or takes away or detains a married woman with criminal intent or a husband or his relative subjects a woman to cruelty, or kidnaps, abducts or induces a woman to compel her to marry.

नए आपराधिक कानूनों में प्रासंगिक प्रावधान

- यौन उत्पीड़न के प्रयास, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तस्करी, अपमानित करना , एसिड हमले के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाएं जो OSC तक पहुंचती हैं या उन्हें भेजा जाता है, उन्हें विशेष सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत प्रभावित महिलाओं को सहायता के लिए OSC के पास भेजा जा सकता है : –

- धारा 63 से 70 – यह बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या किसी नाबालिग लड़की से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे यौन अपराधों से प्रभावित महिलाओं पर लागू होता है।
- धारा 74 से 79 – उन महिलाओं पर लागू होती हैं जो आपराधिक बल प्रयोग और उसकी शील भंग करने के इरादे से या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से किए गए हमले से प्रभावित होती हैं या यौन उत्पीड़न किया जाता है या ताक–झांक या पीछा किया जाता है या जिनकी शील का अपमान किसी शब्द, कोई आवाज या इशारा या कोई अश्लील हरकत करके किया जाता है।
- धारा 81 से 87 – विवाह अपराधों से संबंधित हैं, जिसमें कोई व्यक्ति धोखे से विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास करता है, या अपनी पत्नी के जीवनकाल के दौरान दोबारा शादी करता है, या वैध विवाह के बिना बेईमानी से या धोखे से शादी करता है या किसी विवाहित महिला को बहला–फुसलाकर ले जाता है या हिरासत में रखता है। आपराधिक इरादे से या पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरता करते हैं, या अपहरण करते हैं, वपहरण करते हैं या किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करते हैं।

- Sections 88 to 91 – Are related to offences causing miscarriage, voluntarily or without the consent of the woman or by acting in such a manner so as to prevent the child being born alive or to cause death of the child after birth etc.
- Sections 111, 135, 137, 138, 141 to 146 – Are related to wrongful confinement of a woman as part of an organised crime or otherwise also, if a woman is kidnapped or abducted, or trafficked or imported from a foreign country, exploited or made to do slavery or unlawful compulsory labour.
- Sections 124 - Is related to acid attack.

- The introduction of provisions of e-FIR and zero FIR in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 are aimed to aid in swift reporting of such heinous offences against women that require immediate attention.
- The age of sexual consent for a married woman under Section 63 of BNS has been raised in conformity with POCSO Act from 15 to 18 years. Further, all sections of POCSO will be invoked if rape is committed on a minor girl.

सत्यमेव जयते

- धारा 88 से 91 – स्वेच्छा से या महिला की सहमति के बिना या इस तरह से कार्य करके गर्भपात कराने वाले अपराधों से संबंधित हैं ताकि बच्चे को जीवित पैदा होने से रोका जा सके या जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो सके आदि।
- धारा 111, 135, 137, 138, 141 से 146 – एक महिला को संगठित अपराध के हिस्से के रूप में गलत तरीके से कैद करने से संबंधित हैं या अन्यथा, यदि किसी महिला का अपहरण या वपहरण किया जाता है, या तस्करी की जाती है या विदेश से आयात किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है या गुलामी या गैरकानूनी अनिवार्य श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- धारा 124 – एसिड हमलों से संबंधित हैं।

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 में e-FIR और zero FIR के प्रावधानों की शुरूआत का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता करना है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के तहत एक विवाहित महिला के लिए यौन सहमति की उम्र POCSO अधिनियम के अनुरूप 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है तो POCSO की सभी धाराएं लगाई जाएंगी।
- महिला सुरक्षा के लिए बीएनएसएस में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी दिए गए हैं –

- धारा 43 – कहती है कि किसी महिला को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए महिला के शरीर को तब तक नहीं छू सकता जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला न हो। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं।

- Certain procedural safeguards are also given in BNSS 2023 women safety

- Section 43 - Says that while making an arrest of a woman, the police officer cannot touch her arrest unless the police officer is a female. No arrest after sunset and before sunrise.
- Section 49(2) – States that whenever it is necessary to cause a female to be searched, the same shall be done by another female, with strict regard to decency.
- Section 51 - On examination of accused by medical practitioner at request of police officer says explicitly that whenever the person of a female is to be examined it has to be done only by or under the supervision of a female registered medical practitioner.
- Section 53(1) second proviso – Adds to the above by providing that when a female is arrested, the examination of the body shall be done only by or under the supervision of a female medical officer or a female registered medical practitioner, whichever is available.
- Section 183(6)(a) first proviso – Statements to be recorded by a woman magistrate, and in her absence, by a male magistrate in the presence of a woman.

- धारा 49(2) – कहती है कि जब भी किसी महिला की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए यह काम दूसरी महिला द्वारा किया जाएगा।
- धारा 51 – पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा आरोपी की जांच पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी किसी महिला के शरीर की जांच की जानी है तो यह केवल महिला पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या उसकी देखरेख में की जानी चाहिए।
- धारा 53(1) दूसरा प्रावधान – उपरोक्त में यह प्रावधान करके जोड़ा गया है कि जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है, तो शरीर की जांच केवल महिला चिकित्सा अधिकारी या महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा या उसकी देखरेख में की जाएगी। .
- धारा 183(6)(क) पहला प्रावधान – एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में, एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज किए जाएंगे।
- धारा 193 – जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के संबंध में है कहती है कि इठर की उन धाराओं के तहत जांच, जो महिलाओं से संबंधित हैं, उस तारीख से दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए जिस दिन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज की गई थी।
- धारा 219 – उन स्थितियों के बारे में सूचित करती है जब शिकायत पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है, पीड़ित बच्चा हो सकता है, या मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है या बौद्धिक रूप से अक्षम हो सकता है या एक महिला हो सकती है और अदालत को ऐसी शिकायत का संज्ञान लेना होगा।

सत्यमेव जयते

- Section 193 – Is regarding report of police officer on completion of investigation and says that investigation under those Sections of BNS, which are related to women, should be completed within two months from the date on which the information was recorded by the officer incharge of police station.
- Section 219 – Informs about conditions when the complaint can be lodged by some person other than the victim who may be a child, or of unsound mind or intellectually disabled or is a woman and the court has to take cognizance of such complaint.
- Section 308 – Emphasises that when evidence of a woman below the age of eighteen years as a victim of rape or any sexual offence is to be recorded, then the woman should not be confronted by the accused and her right to cross examine the accused is to be ensured.
- Section 366 – States that trial of rape and similar offences shall be conducted in-camera and not in open court and as far as practicable, by a woman judge or magistrate.
- Section 397 – Is regarding immediate treatment of victims, free of cost.

सत्यमेव जयते

- धारा 308 – इस बात पर जोर देती है कि जब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का बलात्कार या किसी यौन अपराध की शिकार के रूप में साक्ष्य दर्ज किया जाना है, तो महिला का आरोपी से आमना-सामना नहीं कराया जाना चाहिए और आरोपी से जिरह करने का उसका अधिकार सुनिश्चित किया जाए।
- धारा 366 में कहा गया है कि बलात्कार और इसी तरह के अपराधों की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी, खुली अदालत में नहीं और जहां तक संभव हो, महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
- धारा 397–पीड़ितों के तत्काल नि:शुल्क इलाज के संबंध में है।